BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL BENCH AT NAINITAL

Present: Hon'ble Mr. Capt. Alok Shekhar Tiwari

------ Member (A)

Claim Petition No. 16/NB/SB/2026

Constable No. 1149 (Civil Police), Bharat Singh Bisht (Male), Aadhaar No. **779949334472**, aged about 39 years, S/o Late Sri Balwant Singh Bisht, R/o Pumpapur, Ramnagar, District Nainital.

……Applicant/Petitioner

Versus

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Home Department, Dehradun.
2. Inspector General of Police, Kumaon Division, Nainital.
3. Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar.

……Respondents

WITH

Claim Petition No. 18/NB/SB/2026

Constable No. 421 (Civil Police), Jagdish Pathak (Male), Aadhaar No. **729607628204**, Aged about 43 years, S/o Late Sri Badridutt, R/o Village Madigaon Kotgari, District Pithoragarh-262533.

……Applicant/Petitioner

Versus

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Home Department, Dehradun.
2. Inspector General of Police, Kumaon Division, Nainital.
3. Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar.

…….. respondents

Present : Sri Subhash Joshi, Advocate for the petitioner
Sri Kishore Kumar, A.P.O. for the respondents

WITH

Claim Petition No. 34/NB/SB/2026

Constable Driver (Civile Police) Lalit Kumar Chaudhary (Male), Aadhaar No. **945154197350**, Aged about 37 years, S/o Late Sri Ombeer Singh, R/o Kotvali Bazpur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand-262401

……Applicant/Petitioner

Versus

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Home Department, Dehradun.
2. Inspector General of Police, Kumaon Division, Nainital.
3. Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar.

…….. respondents

Present : Sri Sachin Veer Singh, Advocate for the petitioner
Sri Kishore Kumar, A.P.O. for the respondents

JUDGMENT

DATED : 06th NOVEMBER , 2026

This claim petitions have been filed seeking the following reliefs:-

> "(i) To quash the impugned order 22-01-2026 and order dated 29-07-2024 (Contained as Annexure No. 1 and 2) along with its effect and operation and after calling the entire record.
>
> (ii) To issue order or direction to expung the adverse entry recorded in the service record of the applicants and grant all the service benefits or pass any other direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances stated in the body of the claim petitions.

(iii) To issue any other order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the case."

2. In these instant matters, there have been filed three separate claim petitions respectively, i.e., Claim Petition No. 16/NB/SB/2026 Constable No. 1149 (Civil Police) Bharat Singh Bisht Vs. State of Uttarakhand & others, Claim Petition No. 18/NB/SB/2026 Constable No. 421 (Civil Police) Jagdish Pathak Vs. State of Uttarakhand & others and Claim Petition No. 34/NB/SB/2026 Constable Driver (Civil Police) Lalit Kumar Chaudhary Vs. State of Uttarakhand & others pertaining to a single incident that took place on 06.10.2023 under the jurisdiction of Police Station- ITI Kashipur, District Udham Singh Nagar, wherein, a group of police employees of different ranks had been detailed together on night duty at 'Chaiti Chauraha', who were found to be missing from duty alongwith their dial 112 vehicle in that particular area when at about midnight the then Superintendent of Police, Kashipur made a surprise visit to their place of duty, and when on the police wireless set their location was asked, they misinformed the Police Control Room about their location. The Superintendent of Police, Kashipur directed the Control Room to mark these police employees as abstaining from the duty. This incident was reported to the respondent No. 3 Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar, who ordered for a preliminary inquiry through his letter No.–

न–319/2023 dated 07.10.2023, wherein Ciircle Officer Kashipur was made the Enquiry Officer, a detailed inquiry report of which was submitted on 12.02.2024. The respondent No. 3 issued a show-cause notice to these police employees on 24.02.2024 and asked for individual exaplanations from all these employees separately. In this matter, separate disciplinary proceedings were begun against these defaulter police employees, though the final punishment orders as well as the appeal rejection orders have been passed on the same dates, i.e., 29.07.2024 and 22.01.2026 respectively.

3. Since these three claim petitions are identical arising out of a single incident followed by identical show-cause notices, punishment orders and appeal rejection orders, they are being decided together as a bunch by this single Judgment/Order applicable on all the three petitions, wherein, the claim petition No. 16/NB/SB/2026 Bharat Singh Bisht Vs. State of Uttarakhand & others has been taken-up as the leading file.

4. Brief averments of the matter are as follows :-

4.1. By means of the present claim petition, the petitioner is challenging and assailing the impugned order dated 22-01-2026 passed by the respondent No. 2 by which the respondent No. 2 rejected the statutory appeal filed by the petitioner before the Deputy Inspector General of Police, Kumoun, Nainital (DIG), thus,

the respondent No. 2 is not competent authority to decide the statutory appeal, in fact, he is revisional authority as per the Rule 23 of the ***Uttar Pradesh Police Officers and Subordinate Rank Rules, 1991*** and the petitioner is further challenging the order dated 29-07-2024 passed by the respondent No. 3 by which the respondent No. 3 awarded the punishment of withholding five days' salary. The aforesaid punishment order is based on a preliminary inquiry which is itself in violation of the Rules and based on vague charges and the enquiry is also a sham show inquiry. It is also relevant to mention here that the disciplinary authority in the show-cause notice after the inquiry report opened his mind about the punishment, thus the impugned punishment order is against the principle of natural justice and also in violation to the judgment of the Hon'ble Supreme Court passed in the case of **M.D. ECIL Vs. B. Karunakar**an and the judgment of the Hon'ble High Court of Uttarakhand passed in WPSB No. 133 of 2015 "**Mahesh Chandra Gupta Vs. State of Uttarakhand and Others**, & WPSS No. 192 of 2017 **"Constable 51 AP Jogender Kumar v. State of Uttarakhand and others"**. Thus, the impugned orders as well as entire disciplinary proceedings including the inquiry report, are liable to be quashed. Hence this claim petition.

4.2. As per the story of the department that when the petitioner was deputed in Police Station I.T.I. Kashipur, District

Udham Singh Nagar in the year 2023 then on 06-10-2023 when he was in night duty in Dial 112 he was not found at the indentical location but he was found in I.I.M. Campus. Thus, for the incident a preliminary enquiry was conducted by Circle Officer Kashipur. The Enquiry Officer after completing the enquiry submitted her enquiry report on 12-02-2024. The Enquiry Officer in her report concluded the following :.

"निष्कष–

प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के दौरान अंकित किये गये कथनों तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 05.10.2023 को थाना आईटीआई में रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा तथा रात्रि चालक है0 कानि0 334 प्रकाश भोजक व हमराह कानि0 421 जगदीश पाठक तथा डायल 112 में कानि0 1149 भरत बिष्ट तथा कानि0 चालक ललित चौधरी ड्यूटी पर नियुक्त थे। डायल 112 में नियुक्त कम0 गण थाना आईटीआई से तद्दिनांक को रपट सं0 43 समय 20.16 बजे थाना क्षेत्र में रवाना हुये तथा रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा मय हमराह कानि0 421 जगदीश पाठक तथा चालक है0कानि0 प्रकाश भोजक थाना आईटीआई से रपट नं0 49 समय 23.39 बजे थाना क्षेत्र रवाना हुये थे। दिनांक 06.10.2023 को रात्रि समय 23.25 बजे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा थाना आईटीआई की डायल 112 को चौती चौराहे पर चैक करने पर डायल 112 अपनी लोकेशन पर मौजूद नहीं मिली जिस पर नियुक्तगणों की गैर हाजिरी दर्ज किये जाने हेतु नगर नियन्त्रण कक्ष का बताया गया श्रीमान् पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि 23.45 बजे रात्रि अधिकारी व डायल 112 को चक करने पर रात्रि

अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा को मय हमराह कानि. 421 जगदीश पाठक चालक है0 का0 प्रकाश भोजक व मय वाहन तथा डायल 112 में नियुक्त कर्म0गणों का मय वाहन के आईआईएम कैंपस में मौजूद होना पाया गया। जबकि थाना आईटीआई से का0 मुरलीधर पाण्डे द्वारा रात्रि समय 23.39 बजे से 23.45 बजे के बीच रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा से लोकेशन पूछने पर रात्रि अधिकारी द्वारा अपनी लोकेशन श्यामपुरम बतायी गयी। रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम तथा डायल 112 में नियुक्त कानि0 1149 भरत बिष्ट तथा कानि चालक ललित चौधरी अपनी ड्यूटी में नियुक्त न होकर आईआईएम कैम्पस में रहना पाया गया। जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि का0 421 जगदीश पाठक व चालक कानि. 335 प्रकाश भोजक रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा के हमराह तथा चालक के रूप में नियुक्त थे रात्रि अधिकारी द्वारा उन्हें भी अपने साथ आईआईएम कैम्पस ले जाया गया।

जांच में प्रथम दृष्टया रात्रि अधिकारी उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा जो कि एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त होते हुये भी जिन्हें रात्रि में क्षेत्र में रहकर आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने हेतु रात्रि भ्रमण में रहना था परन्तु उक्त उ0नि0 द्वारा रात्रि में क्षेत्र भ्रमण में नहीं रहकर आईआईएम कैम्पस में मौजूद होना पाया गया इसी तरह डायल 112 में नियुक्त कम0 गण जो कि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना होने पर तुरन्त मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने हेतु क्षेत्र में नियुक्त किया गया था परन्तु डायल 112 में नियुक्त कर्मगणों द्वारा क्षेत्र में नहीं रहकर आईआईएम कैम्पस में मौजूद होना पाया गया। उ0नि0 प्रकाश राम विश्वकर्मा कानि0 1149 भरत बिष्ट कानि चालक ललित चौधरी द्वारा अपनी

ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही बरती जाने व गलत लोकेशन नोट कराने का दोष प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।"

4.3. Thereafter, pursuant to the inquiry report dated 12-02-2024 the respondent No. 3 issued a show-cause notice to the petitioner on 24-02-2024 and directed him to submit his reply within 15 days. The respondent No. 3 in its show-cause notice mentioned the punishment. The aforesaid act of the respondent No. 3 shows his pre-mind set condition that he has made his mind to award the punishment of withholding of three days' salary to the petitioner. Thus, the repy of the petitioner is a futile exercise. The aforesaid act of the disciplinary authority is against the provisions of law laid down by the Hon'ble Apex Court in case of M.D. ECIL Vs. B. Karunakaran and also its violation of the judgment and order of the Hon'ble High Court of Uttarakhand passed in WPSB No. 133 of 2015 "Mahesh Chandra Gupta Vs. State of Uttarakhand and others".

4.4. After receiving the show-cause notice, the petitioner submitted his reply to the enquiry report and denied the findings of the Enquiry Officer and requested to cancel the enquiry report. The petitioner stated in his reply specifically stated that the Dial 112 team on calling has categorically stated that at about 11:00 P.M. that their location is at Vaishali Colony and they are on patroling and at the relevant time the battery of the MDT set and

they are not sleeping and are active on duty and during this period there was no incident was took place.

4.5. Surprisingly the disciplinary authority in utter hot haste passed the impugned order on 29-07-2024. The disciplinary authority in its impugned order passed the punishment which was mentioned in show-cause notice which is not permissible in the eyes of law.

4.6. Feeling aggrieved by the impugned order dated 29-07-2024, the petitioner preferred statutory appeal before the Deputy Inspector General, Kumaon.

4.7. The petitioner has made the statutory appeal to the Deputy Inspecter General of Police, Kumoun, but the respondent No. 2, who is at present Inspector General of Police have exercised the powers of DIG Police and rejected the appeal on 22.01.2026 in a cursory and stereo type manner. The Inspector General of Police is a revisional authority as per the Rules of 1991 and due to passing of the order by a superior authority in capacity of inferior authority is illegal and arbitrary. Hence this claim petition.

4.8. The Enquiry Officer while considering the enaquiry has not properly adduced the evidence submitted by the petitioner. The petitioner is only a Constable and is depend upon the Driver of the vehicle of the Dial 112 and his duty is to comply

the directions of his immediate superior authorities and on the date of incident due to discharge of the battery of MDT set and for taking charging cable they went to his house and thereafter for some time they charged the battery and thereafter when they on their way the vehicle of the Dial 112 was stopped by the Police Superintendnet and called them in Police Station. This fact reveals that the petitioner is on duty at night and are in nearby place and if any incident is occurred during this time then they are well within the territory and are capable to handle any dispute. But the Enquiry Officer has no very hypothetical and technical manner found the petitioner guilty, which is not permissible in the eyes of law.

4.9. The withholding salary is defined as minor punishment in the Police Act, but in case of the promotion the respondent department is using the minor punishment as major punishment because the respondent department in promotional exercise are not allowing the incumbents, who got punishment of minof panlty. Thus, the minor punishment awarded to the incumbents is treated as major punishment.

4.10. The appellate authority is duty bound to pass reasoned orders dealing with contentions of the employees but in the instant case the appellate authority not exercised his powers conferred to him and only in a stereo type manner rejected the appeal in cursory manner. It is relevant to mention here that the

Hon'ble Apex Court in the case of **"Deokinandan Sharma Vs. Union of India & others"** Reported in 2001 (5) SCC 340, has held the appellate authority is duty bound to pass reasoned order dealing with the appellant's contentions. Thus, the appellate authority not complied the aforesaid directions of the Hon'ble Apex Court and thus kind indulgence of this Hon'ble Court is required.

4.11. In the case of Ram Chander Vs Union of India and Union of India Vs Tulsiram Patel the Hon'ble Apex Court has held that while deciding statuary appeal the appellate authority is required to give hearing to the government servant concerned and also pass reasoned order dealing with the contentions raised in the appeal.

4.12. In the case of "State of Uttaranchal & Others Vs. Kharak Singh" **Reported in 2008 (8) SCC**, the Hon'ble Apex Court has held that the appellate authority is required to support his decision with reference to enquiry records.

5. CA/WS has been filed on behalf of the respondents No. 1 to 3 by Sri Kishore Kumar, learned Assistant Presenting Officer, Uttarakhand Public Services Tribunal, Nainital Bench, Nainital, in which, it has been stated that:-

5.1. यह कि याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार है एवं केवल वही प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं।

5.2. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–1 में वर्णित कथन अभिलेखीय हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर के द्वारा उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991}, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (क) में उल्लिखित दण्ड के अन्तर्गत पारित दण्डादेश संख्याः न–319/2023 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट को 05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट द्वारा दण्डादेश संख्याः न–319/2023 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता को 05 दिवस के वेतन जुर्मान/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा अपील को सुनवाई के उपरान्त अपील को बलहीन पाते हुये अपने आदेश पत्रांक संख्याः सीओक–अपील–07/2025 दिनांकः 22–01–2026 के माध्यम से याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को बलहीन पाते हुए अपील को अस्वीकृत करते हुये, याचिकाकर्ता को ''05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश'' को यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। विभागीय अभिलेखों पर आधारित है तथा यह भी निवेदन करना

है कि इस प्रस्तर में जो माननीय न्यायालय का निर्णय अंकित किया गया है वह याची के प्रकरण से सम्बन्धित होना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

5.3. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.3 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि जांच अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान लिये गये गवाहों के बयानों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष का गहनता से अध्ययन के उपरान्त ही आरोपी याची के विरुद्ध अंकित आरोपों पर सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से पूर्णतः दोषी होना पाया गया है।

5.4. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.4 में किये गये कथन अस्वीकार है। इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन पूर्णरूप से भ्रामक, निराधार एवं तथ्यहीन है। आरोपों के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 24.02.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991}, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) में वर्णित दण्ड से क्यों न दण्डित कर दिया जाये विषयक कारण बताओ नोटिस इस निदंश के साथ निर्गत किया गया था कि आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, यदि आपका लिखित स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और स्पष्टीकरण के अभाव में अग्रिम आदेश पारित कर दिये जायेंगे, निर्गत कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर याचिकाकर्ता कानि0 421 ना0पु0

जगदीश पाठक, के द्वारा दिनांक 30.03.2024 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट को अपने बचाव व सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता है इस प्रस्तर में जो माननीय न्यायालय का निर्णय अंकित किया गया है वह याची के प्रकरण में लागू नहीं होता है।

5.5. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.5 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन पूर्णरूप से भ्रामक, निराधार एवं तथ्यहीन है। प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0पु0 भरत सिंह बिष्ट को अपने बचाव व सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया ह, जो पूर्णतः विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया। सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्टको उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991}, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (क) में उल्लिखित दण्ड के अन्तर्गत

पारित दण्डादेश संख्याः न–319/2023 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट को 05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

5.6. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.6 में किये गये कथन के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से अपने बचाव में दर्शाये गये हैं जो अस्वीकार हैं विभागीय अभिलेखों पर आधारित हैं तथा जांच अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान लिये गये गवाहों के बयानों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को बलहीन पाते हुये, एवं जांच के आधार पर निष्कर्ष का गहनता से अध्ययन के उपरान्त ही आरोपी याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के विरुद्ध अंकित आरोपों पर सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से पूर्णतः दोषी होना पाया गया। पूर्ण विवरण उपराक्त प्रस्तरों में दिया गया है।

5.7. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.7 में किये गये कथन के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से अपने बचाव में दर्शाये गये हैं जो अस्वीकार हैं अंकित कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप ही अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को बलहीन एवं अस्वीकृत होने योग्य पाते हुए तथ्यों को ध्यान में रखते हुये याचिकाकर्ता की अपील निरस्त की गयी है।

5.8. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.8 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से अपने बचाव में दर्शाये गये हैं जो अस्वीकार हैं अंकित कथन पूर्णरूप से निराधार एवं

तथ्यहीन है। याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा दण्डादेश संख्याः न–319/2023 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता को 05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश के विरुद्ध याची कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा अपील को सुनवाई के उपरान्त अपील को बलहीन पाते हुये अपने आदेश पत्रांक संख्याः सीओके–अपील–08/2025/233 दिनांकः 22–01–2026 के माध्यम से याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0पु0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को बलहीन पाते हुए अपील को अस्वीकृत करते हुये, याचिकाकता को ''05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश'' को यथावत् बनाये रखने के आदेश पारित किये गये।

5.9. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.9 में किये गये कथन अस्वीकार है। इस कथन के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रकरण में नियमानुसार प्रारम्भिक जांच कराई गई तथा जांचकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार कथनों को अंकित कराते हुये साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त अपना निष्कर्ष अंकित किया गया। पूर्ण विवरण उपरोक्त प्रस्तरों में दिया गया है।

5.10. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.10 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से अपने बचाव में दर्शाये गये हैं जो अस्वीकार हैं विभागीय अभिलेखों पर आधारित हैं तथा जांच अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान लिये गये गवाहों के बयानों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को बलहोन पाते हुये, एवं

जांच के आधार पर निष्कर्ष का गहनता से अध्ययन के उपरान्त ही आरोपी याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के विरुद्ध अंकित आरोपों पर सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही से पूर्णतः दोषी होना पाया गया। पूर्व प्रस्तरों की पुनरावृत्ति है पूर्ण विवरण पूर्व प्रस्तरों दिया गया है।

5.11. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.11 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से अपने बचाव में दर्शाये गये हैं जो अस्वीकार हैं इस कथन में सादर अवगत कराना है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप ही अपील अधिकारी व जांच अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं इस प्रकरण की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर ही कार्यवाही की गयी है जिसमें याचिकाकर्ता दोषी पाया गया है। कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन हैं एवं अपने बचाव में किया जा रहा है। पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपराक्त पूर्व प्रस्तरों में दिया जा चुका है।

5.12. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.12 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से दर्शाया गया है जो अस्वीकार हैं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विधिक दृष्टिकोण से गहन अवलोकन करने के उपरान्त ही प्रकरण में याची आरक्षी पर लगाये गये आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः प्रमाणित होते हैं प्रकरण में नियमानुसार प्रारम्भिक जांच करने के उपरान्त ही याची आरक्षी को बचाव का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अन्तिम दण्डादेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत, न्यायोचित एवं प्राकृतिक

न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल हैं जिसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

5.13. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.13 में किये गये कथन अस्वीकार है इस कथन में सादर अवगत कराना है कि कथन भ्रामक रूप से दर्शाया गया है जो अस्वीकार हैं याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों/तर्कों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं स्पष्टीकरण आदि का गहनता एवं गंभीरता से अध्ययन कर मनन किया गया। आरोपी याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर आरोपी याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991}, अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23 (2) (क) में उल्लिखित दण्ड के द्वारा याचिकाकर्ता को 05 दिवस के वेतन जुर्माने/अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

5.14. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.14 में किये गये कथन अस्वीकार हैं इस कथन में सादर अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप ही अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को बलहीन एवं अस्वीकृत होने योग्य पाते हुए तथ्यों

को ध्यान में रखते हुये याचिकाकर्ता की अपील निरस्त की गयी है। प्रस्तर विभागीय अभिलेखों पर आधारित है तथा यह भी निवेदन करना है कि इस प्रस्तर में जो माननीय न्यायालय का निर्णय अंकित किया गया है वह याची के प्रकरण से होना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

5.15. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.15 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन है। माननीय न्यायालय का निर्णय अंकित किया गया है वह याची के प्रकरण से होना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के फलस्वरूप ही अपील अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, को कारण बताओ नोटिस दिया गया सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही के उपरान्त दण्डादेश पारित किया गया।

5.16. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.16 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथन पूर्णरूप से निराधार एवं तथ्यहीन है। अस्वीकार है। दण्डाधिकारी द्वारा नियमानुसार सम्यक रूप से विचारोपरान्त अंतिम आदेश पारित किया गया। प्रकरण में याची के विरुद्ध दण्डित किये जाने योग्य पर्याप्त साक्ष्य हैं, इस प्रस्तर में अंकित माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध याचिकाकर्ता कानि0 1149 ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के प्रकरण से होना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त प्रस्तरों की पुनरावृत्ति है। सम्पूर्ण विवरण उपरोक्त प्रस्तरों में दिया गया है।

5.17. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–**4.17, 4.18** एवं **4.19** में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कथन जिस प्रकार अंकित कथन भ्रामक रूप से दर्शाया गया है जो अस्वीकार हैं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विधिक दृष्टिकोण से गहन अवलोकन करने के उपरान्त ही प्रकरण में याची आरक्षी पर लगाये गये आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्णतः प्रमाणित होते हैं प्रकरण में नियमानुसार प्रारम्भिक जांच करने के उपरान्त ही याची आरक्षी को बचाव का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अंतिम दण्डादेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत, न्यायोचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल हैं जिसमें प्रक्रिया सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। प्रस्तर में अंकित माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध याचिकाकर्ता कानि0 **1149** ना0प0 भरत सिंह बिष्ट, के प्रकरण से होना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

5.18. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या **5** एवं उसके उपप्रस्तरों में वर्णित कथन अस्वीकार हैं, याची के द्वारा याचिका के प्रस्तरों में वर्णित तथ्यों को ही आधार के रूप में वर्णित किया गया है जिनका उत्तर पूर्ववर्ती प्रस्तरों में प्रस्तुत किया जा चुका है, याची की याचिका आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5.19. यह कि प्रतिवाद पत्र के उपरोक्त कथनों के आधार पर याची की याचिका सव्यय अस्वीकार होने योग्य है। मा0 न्यायाधिकरण से प्रार्थना है, कि याचिकाकर्ता के द्वारा योजित की गयी वर्तमान याचिका असत्य एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, जिस कारण उक्त याचिका खारिज होने योग्य है। अतः मा0 न्यायाधिकरण से अनुरोध है, कि उक्त याचिका को शासन/विभाग के पक्ष में खारिज/निरस्त करने का कष्ट करें।

6. Rejoinder affidavit has also been filed reiterating the facts mentioned in these present claim petitions.

7. I have heard the learned Counsels for the parties and perused the records.

8. Learned Counsels for the petitioners argued as follows:-

(a) The entire posse of police employees on that fateful day of dated 06.10.2023 in the instant matter had been detailed for night duty under question at ‘Chaiti Chauraha’ under the command of one S.I. Prakash Ram Vishwakarma whose orders were binding upon the subordinate police employees as per rules. Since all of them including the S.I. Prakash Ram Vishwakarma had been found absent from night duty together alongwith their Dial 112 vehicle, and were located subsequently by Superintendent of Police, Kashipur, District Udham Singh Nagar during his surprise visit at I.I.M. Campus, it would be a realistic presumption that this abstention must have happened either on the instruction of S.I. Prakash Ram Vishwakarma himself or with his expressed consent to do so. Further, since the entire team of these police employees was seated in the Dial 112 vehicle they obviously would all be found together only, as is naturally expected.

(b). Therefore, holding the individual Constables (petitioners) responsible for abstaining from duty would be morally and legally a wrong conclusion.

(c). Nothing on record manifests that any of the petitioners had been a habitual offender of this kind of indiscipline earlier.

(d). The reasons for leaving the night duty spot, and of having been found at the I.I.M. Campus together by the Superintendent of Police, Kashipur, District Udham Singh Nagar have been somewhat satisfactorily explained in their statements in the preliminary inquiry and their explanations to the show-cause notices. Though Superintendent of Police, Kashipur, District Udham Singh Nagar directed the Control Room to mark these employees as abstaining from the night duty spot, i.e., 'Chaiti Chauraha' or in the area of vicinity, who were sleeping in the I.I.M. Campus seems factually exaggerated, as the S.P. Kashipur had not even entered the campus, but had located himself out of the IIM gate and had stopped them outside of the main gate when they tried to sneak-out towards their place of night duty in their Dial 112 vehicle.

(e). Though an indiscipline was caused definitely by falsely reporting to the Control Room that their current location was at Shyampur when the Control Room asked for their location on a wireless set. Nevertheless, this could not have been done at the petitioners' level, but by S.I. Prakash Ram Vishwakarma.

Therefore, it would be unjustified to insinuate the petitioner constables for alleged falsification under question.

9. Learned Counsels for the petitioners have relied upon Civil Appeal No. 7431 of 2008 (Arising out of SLP (C) No. 14429 of 2007 Roop Singh Negi Vs. Punjab National Bank & Ors, decided on 19 December, 2008, Writ-C No. 1004474 of 2010 Allahabad Bank Staff Association Thru Its General Secy. Vs. Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal-Cum-Labour Court decided on January 18, 2024 and Writ Petition (S/B) No. 133 of 2015 Mahesh Chandra Gupta Vs. State of Uttarakhand and others, decided on 20.04.2015.

10. Learned A.P.O. during his arguments opposed the pleadings of the learned Counsels for the petitioners and emphasized that this indiscipline would be counted separately for each of the defaulter police employee, and not as a group being commanded by the S.I. Prakash Ram Vishwakarma. Each of these petitioners knew it very well that by abstaining from the spot of night duty they were committing indiscipline punishable under the rules. Therefore, their alibi is unacceptable. As per the learned A.P.O., disciplinary proceedings in all three claim petitions are flawless and must be accepted as such. Consequently, these claim petitions lack substance and deserve to be dismissed.

11. This Tribunal, after having heard the learned Counsels for the parties and having perused the record of all the three claim petitions has shortlisted the central facts as follows:-

(i). Since the petitioners had been detailed for night duty at the same spot, alongwith a single Dial 112 vehicle under the command of S.I. Prakash Ram Vishwakarma, they acted in unison due to their superior SI Prakash Ram Vishwakarma and their obvious compulsion to move in the Dial 112 vehicle. It is not clear anywhere on the record that they willfully expressed their wish to abstain from duty. In the given circumstances, it would not be wrong to presume that the petitioners followed the wishes of their commander under circumstantial compulsion.

(ii). Though, the act of the petitioners definitely comes under the definition of indiscipline, nevertheless they do deserve a benefit of doubt under the given circumstances. So far as the falsification of real location on the radio set is concerned it is not done at the Constable level, rather it is the prerogative of the superior officer present in the vehicle at that time.

(iii). So far as the counter affidavits of the respondent department are concerned, they have not indicated

anywhere that any of these petitioners had been a habitual offender of indiscipline earlier.

(iv). This is also pretty noticeable here that either due to a clerical mistake, or because of the fact that these threes identical disciplinary proceedings had been conducted together, and recording of the facts of the matter was done mechanically, Constable 412 Jagdish Pathak has been punished despite the fact that the Enquiry Officer has not even specifically mentioned his name as guilty of indiscipline. Further, in the punishment order in paragraph No. 2 this has been recorded that the reply to the show-cause notice has been received in the office of the punishing authority i.e. S.S.P. Udham Singh Nagar on 30.07.2024, while the punishment order itself has been signed and dated on 29.07.2024. Thus, it appears that these DPs had been conducted in a mechanical manner and possibly had been initiated for deterrence purposes for the entire police staff of District Udham Singh Nagar, keeping in view the incoming festive seasons in the State of Uttarakhand.

(v). This is also noticeable that the final order of punishment by the respondent No. 3 has been passed uniformly on 29.07.2024 despite the fact that the

replies to the show-cause notices by these petitioners had been submitted separately on 30.03.2024, 30.07.2024 and 06.04.2024 respectively, and the respondent No. 2 the Appeallate Authority, I.G. Kumoun Region, Nainital has rejected the appeals of these petitioners on the same date i.e. 22.01.2026, despite the fact that these three petitioners had filed their individual appeals against the final punishment orders dated 29.07.2024 separately on different dates. This fortifies the suspicion that these entire DPs had been conducted mechanically and with pre-determined mindset.

12. Therefore, the impugned orders dated 29.07.2024 and 22.01.2026 appears to have been passed mechanically, with prior presumption of guilt against the petitioners, and do not conform to the real spirit of natural justice.

O R D E R

Accordingly, these claim petitions are hereby allowed. The impugned orders dated 22.01.2026 passed by the respondent No. 2 (Inspector General of Police, Kumoun Division, Nainital) and 29.07.2024 passed by the respondent No. 3 (Senior Superintendent of Police, District Udham Singh Nagar) are, hereby, set-aside. The respondents are directed to expunge the adverse entry recorded in the service records of the petitioners

within a period of 30 days from the date of receipt of the certified copy of this judgment. No orders as to costs.

(Capt. Alok Shekhar Tiwari)
Member (A)

DATE: 06th **NOVEMBER, 2026**
NAINITAL
BK